"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 340] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 9 सितम्बर 2016—भाद्रपद 18, शक 1938

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 9 सितम्बर 2016

क्रमांक 8573/डी. 221/21-अ/प्रारू./छ. ग./16.— छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 17-08-2016 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. होता, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 31 सन् 2016)

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) अधिनियम, 2016

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्र. 13 सन् 2005) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) अधिनियम, 2016 कहलाएगा.

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

अनुसूची का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्र. 13 सन् 2005) की अनुसूची में, सरल क्रमांक 7 के पश्चात् , निम्नलिखित प्रतिस्थापित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

स. क्र.	निजी विश्वविद्यालय का नाम	प्रायोजक निकाय का नाम	प्रायोजक निकाय की स्थापना की प्रक्रिया	मुख्य परिसर (मुख्यालय)	क्षेत्राधिकार	शिक्षण कार्यक्रम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
"8.	आई.एस.बी.एम. यूनिवर्सिटी	अल्फा फाउन्डेशन	सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का सं. 21) के अधीन पंजीकृत तथा बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1950 (1950 का सं. 29) के अधीन स्वीकृत सोसाइटी पंजीयन क्र.- एफ/ 18944/थाने, दिनांक 25-02-2010	ग्राम-छुरा तहसील-छुरा जिला-गरियाबंद छत्तीसगढ़ (अनुसूचित क्षेत्र)	छत्तीसगढ़	· पत्रकारिता/जन संचार/मीडिया. · कला/मानविकी (ह्यूमेनिटीज)/सामाजिक विज्ञान. · शिक्षा/शिक्षक प्रशिक्षण · विधि · व्यवसाय प्रशासन/वाणिज्य/प्रबंधन/ वित्त. . पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान. . ललित कला/कला प्रदर्शन/ दृश्य कला/ अनुप्रयुक्त कला.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						. होटल प्रबंधन/अतिथि सत्कार/पर्यटन/यात्रा.
						. विज्ञान/अनुप्रयुक्त विज्ञान
						. अभियांत्रिकी/प्रौद्योगिकी/ वास्तुकला/डिजाइन.
						. व्यावसायिक शिक्षा/कौशल विकास.
						· पैरामेडिकल/नर्सिंग
						· स्वास्थ्य एवं अनुप्रयुक्त विज्ञान.
						· संस्कृत साऊंडिंग उपाधि में प्रमाण पत्र, पत्रोपाधि, स्नातक, स्नात्तकोत्तर उपाधि एवं उनके समेकित पाठ्यक्रम तथा एम.फिल., पीएच.डी. और अन्य अनुसंधान स्तरीय पाठ्यक्रम."

रायपुर, दिनांक 9 सितम्बर 2016

क्रमांक 8573/डी. 221/21-अ/प्रारू./छ. ग./16. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 09-09-2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. होता, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 31 of 2016)

THE CHHATTISGARH PRIVATE UNIVERSITIES (ESTABLISHMENT AND OPERATION) (AMENDMENT) ACT, 2016

An Act to further amend the Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005 (No. 13 of 2005).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-seventh Year of the Republic of India, as follows :-

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) (Amendment) Act, 2016. — **Short title, extent and commencement.**

(2) It extends to the whole State of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Chhattisgarh Private Universities (Establisment and Operation) Act, 2005 (No. 13 of 2005), after serial number 7 and entries relating thereto, the following shall be added, namely :- — **Amendment of Schedule.**

S. No.	Name of the Private Universities	Name of the Sponsoring body	Procedure of Establishment of Sponsoring body	Main Campus (Head Office)	Jurisdiction	Teaching Programmes
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
"8.	ISBM Universities	Alpha Foundation	Society registered under the Society Registration Act, 1860 (No. 21 of 1860) and approved under the Bombay Public Trust Act, 1950 (No. XXIX of 1950), Registration No. - F/18944/ Thane, dated 25-02-2010	Village - Chhura Tahsil - Chhura District - Gariyaband Chhattisgarh (Scheduled Area)	Chhattisgarh	Certificate, Diploma, Under Graduate, Post Graduate Degree and their integrated courses, M.phil., Ph.d. and other research level courses in- · Journalism/Mass Communication/ Media. · Arts/Humanities/ Social Sciences. · Education/Teacher Training. · Law · Business Administration/ Commerce/ Management/ Finance. · Library and Information Sciences.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						· Fine Arts/ Performing Arts/ Visual Arts/ Applied Arts.
						· Hotel Mangement/ Hospitality/ Tourism/Travel.
						· Science/Applied Sciences.
						· Engineering/ Technology/ Architecture/ Design.
						· Vocational Education/Skill Development.
						· Paramedical/ Nursing.
						· Health and Applied Science.
						· Sanskrit Sounding Degrees.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.